अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सत्तरवीं (70वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 28 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 70.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) ब्लाक **9**, ग्राम कक्कानाड, तालुक कानायन्नूर, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **20** अप्रैल, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 अप्रैल, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 13 जुलाई **2016** के बाद ग्राम रहाका एवं निमोठ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिक एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 जुलाई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) कोडाती गांव, वर्थुर होबली, सर्जापुर रोड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ एसईजेड स्थापित करने के लिए **26** मई **2014** के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 मई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) ब्रुक फील्ड, कुंडलहल्ली गांव, होबली कृष्णराजपुरम गांव, तालुक बंगलौर, दक्षिण, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **31** मार्च, **2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स फ़ील्ड रियल एस्टेट और प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, सीएसईजेड को वित्तीय बंदी का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट प्राप्त करने एवं प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इसके बाद वाणिज्य सचिव के अनुमोदन से फाइल पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(v) ग्राम भुर्कामुंडा एवं भागकीपल्ली, तहसील एवं जिला झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 मई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 70.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई 2017 तक बढ़ाई तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि जब तक सभी मंज़ूरियां प्राप्त नहीं हो जाती हैं, कोई भौतिक निर्माण नहीं किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ii) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई 2017 तक बढ़ाई तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि जब तक सभी मंज़ूरियां प्राप्त नहीं हो जाती हैं, कोई भौतिक निर्माण नहीं किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

मद संख्या 70.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 मार्च, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अपैरल एवं फैशन असेसरीज एसईजेड, की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन 30 सितंबर 2016 (6 माह) तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ii) 18 जून, **2009** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीएचएल लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 अप्रैल, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(iii) 1 फरवरी 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सोंकोया सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी/आईटीईएस के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1 फरवरी 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को यूनिट के विकास पर नजर रखने का भी निदेश दिया।

(iv) 13 मार्च, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 मार्च, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) 1 मार्च, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 22 अप्रैल, **2016** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अप्रैल, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) 29 मई, 2016 के बाद अनुमति पत्र एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एवं बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 नवंबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) 10 मई, **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स यश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर **23/1,** राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज **3,** पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 10 मई, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ix) 29 जनवरी, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सूर्या जेम्स एंड ज्वैलरी जो जयपुर में सीतापुरा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 जनवरी, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(x) 31 मार्च 2016 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 सितंबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) 28 फरवरी **2014** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इकरियॉन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट **2)** जो नोएडा, उत्तर प्रदेश में एनएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xii) एलओए के नवीकरण के लिए मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 70.4 : अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि के लिए मामले

(i) 7 अप्रैल, **2016** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता लिमिटेड जो झर्सूगुडा, ओडिशा में वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई 2016 तक वाणिज्य विभाग द्वारा बढ़ाई गई वैधता अवधि की पुष्टि की तथा 7 अप्रैल 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि भी बढ़ाई।

मद संख्या 70.5 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(क) अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन सह विकासक के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसमें यह प्रावधान है कि पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए जो नवीकरणीय होगा। इसके बाद **27** अगस्त **2015** को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की **66**वीं बैठक में, केरल सरकार से प्राप्त संदर्भ के आधार पर निर्णय लिया गया कि केरल राज्य में स्थित एसईजेड परियोजनाओं के संबंध में पट्टा अवधि विकासक तथा सह विकासक के बीच हस्ताक्षरित पट्टा करार के अनुसार होगी और सभी अन्य मामलों में नवीकरणीय पट्टा अवधि अधिक से अधिक **30** साल तक बनी रहेगी।

<u>सह विकासक के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन</u>

सह विकासक के लिए सभी प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार /सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट /प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। एजेंडा में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 2,60,000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में सेवाओं का निर्यात करने के लिए यूनिटों के लिए कार्यालय भवनों के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 11,00,466 वर्गफीट के निर्मित स्थान के साथ एसईजेड के 2.751 एकड़ के चिह्नित क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी तथा प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए डाटा का विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा।

(iii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 14,20,198 वर्गफीट के निर्मित स्थान के साथ एसईजेड के 3.739 एकड़ के चिह्नित क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी तथा प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए डाटा का विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा।

(iv) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।

(v) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए **50,237** वर्गफीट के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए पट्टा सह विकास करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 50,237 वर्गफीट के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vi) ग्राम पुथेंक्रुज एवं कुन्नाथुनाडू, तालुक कुन्नाथुनाडू, जिला एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफोपार्क्स द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएसटी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 3.5543 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संगत सुविधाओं एवं सेवाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए मैसर्स यूएसटी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 70.6 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) तहसील सौसार, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में **1320.065** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

(ii) 4.063 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का प्रस्ताव

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने 4.063 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 70.7 : विविध मामले

(i) कंपनी के नाम / संरचना तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सीव्यू डवलपर्स लिमिटेड जो प्लाट नंबर **20** और **21**, सेक्टर **135**, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स सीव्यू डवलपर्स लिमिटेड से बदलकर मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) कंपनी के नाम / संरचना तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड जो टिकरी, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कैंडोर गुड़गांव वन डवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) नाम / संरचना / शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनिटेक डवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो डूंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स यूनीटेक डवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कैंडोर गुड़गांव टू डवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौतियों के लिए पात्रता एवं कराधेयता की जांच एवं मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) एसईजेड में फर्मा सेक्टर को शामिल करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उक्त एसईजेड में अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में फर्मा को शामिल करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 70.8 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना के निरसन के निम्नलिखित 5 मामलों की जांच की तथा उनके औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र
1.	मैसर्स अबेक्स इनफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड (काक्षिन केहिरपुर, पीएस कासीपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल)	आईटी सेक्टर	20 दिसंबर, 2007	एफएसईजेड
2.	मैसर्स ओरियन आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (राजरहाट, कोलकाता)	आईटी / आईटीईएस	23 मार्च, 2008	एफएसईजेड
3.	मैसर्स सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (बसंती हाइवे, भंगोर,	आईटी /	09 अगस्त,	एफएसईजेड

	दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल)	आईटीईएस	2008	
4.	मैसर्स बंगाल सृष्टि इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड (आसनसोल, बर्दवान)	आईटी / आईटीईएस	14 जनवरी, 2008	एफएसईजेड
5.	मैसर्स एम एल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड (कलकत्ता लेदर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बंटाला)	चमड़ा	16 जून, 2006	एफएसईजेड

मद संख्या 70.9 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) विकास आयुक्त, एनएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक **23** फरवरी **2016** के विरुद्ध मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी जिसका प्रतिनिधित्व उनके वकील श्री जेएम शर्मा ने किया तथा उनको यूनिट की विनिर्माण एवं व्यापार की गतिविधियों तथा उनके एनएफई स्टेटस का ब्यौरा अलग अलग कंसाइनमेंट के अनुसार एक सप्ताह की अवधि के अंदर प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसे उन्होंने अतिरिक्त सूचना के रूप में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की थी।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक **25** जनवरी **2016** के विरुद्ध मैसर्स स्पेस मैट्रिक्स माडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी तथा पाया कि विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है और इसलिए अपील असामयिक है तथा उनको सबसे पहले एफएसईजेड द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 अक्टूबर 2014 का जवाब देने का निदेश दिया।

<u>पूरक एजेंडा पर निर्णय</u>

मद संख्या 70.10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) ग्राम जामिन पल्लावरम, ताम्बरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24जून, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 11 अक्टूबर 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 11 अक्टूबर, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **29** अक्टूबर, **2011** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 29 अक्टूबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 70.11 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 22 मई, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटवा चिंतन फर्मा केम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 मई, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 70.12 : विविध मामले

(i) मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर कैंडोर कोलकाता वन हाइटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स डवलपर्स लिमिटेड जो राजहाट, उत्तर 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स यूनीटेक हाईटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कैंडोर कोलकाता वन हाईटेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स अधिकार डाटाप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी के निदेशकों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) शोलिंगनल्लूर गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एलकॉट) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोर्ड मोटर प्राइवेट लिमिटेड (ईएमपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स फोर्ड मोटर प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल के स्थान पर 99 साल के लिए सह विकासक का दर्जा अनुमत करने के लिए तमिलनाडु सरकार के पत्र दिनांक 16 मार्च 2016 में निहित सिफारिश का संज्ञान लिया, क्योंकि मैसर्स फोर्ड मोटर प्राइवेट लिमिटेड एलकॉट से 99 साल की अवधि के लिए भूमि पट्टा पर ले चुका है और 99 साल के लिए पट्टा करार भी पंजीकृत करा चुका है और इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) सह विकासक का नाम मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आईआईसी लिमिटेड करने तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड जो सिन्नार एमआईडीसी, नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम मैसर्स इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आईआईसी लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौतियों के लिए पात्रता एवं कराधेयता की जांच एवं मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) रक्षा उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का आवेदन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रक्षा उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों से मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं तथा अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्तावों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि मैसर्स रिलायंस डिफेंस लिमिटेड निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार सभी अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित विकास आयुक्त से संपर्क करेगा।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	एबिज़ एप्लायंस संख्या	स्थान	विनिर्माण की मद	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता
1	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	जीवी 2375	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	निम्नलिखित का विनिर्माण : • टैंक सहित ग्राउंड वेहिकल, आर्मर्ड वेहिकल, इनफैंट्री कॉम्बैट वेहिकल, आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर। • बैलिस्टिक संरक्षण लेवल 3 तथा अधिक प्रदान करने के लिए कंपोनेंट लगे सभी व्हील्ड ड्राइव वेहिकल। • सैन्य प्रयोग के लिए एंफिबियस वेहिकल।	100 150 50
2	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	जेडजी 8110	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	सभी प्रकार के गोलाबारूद एवं फ्यूज का निर्माण	500
3	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	जीएल 8981	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	रिवाल्वर, शॉट गन, लाइट मशीनगन, पिस्टल सहित छोटे हथियारों का निर्माण।	500
4	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	आरपी 4362	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	निर्देशित एनर्जी वेपन, टार्गेट नष्ट करने के लिए लेजर, हाई वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वेपन सिस्टम तथा संबद्ध उपकरण, टार्गेट नष्ट करने के लिए पार्टिकल बीम सिस्टम का निर्माण।	400
5	मैसर्स रिलायंस लैंड	एमआई 4875	पीतमपुर एसईजेड,	सभी कैलिबर के भारी हथियारों	100

	सिस्टम्स लिमिटेड		अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	(आर्टिलरी गन, एडी गन, मार्टार, रॉकेट लांचर) का निर्माण।	
6	मैसर्स रिलायंस अनमैन्ड सिस्टम्स लिमिटेड	ईक्यू 1032	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	हवाई वाहन से हल्के मानव रहित दूर से चालित वाहन (आरपीवी) का निर्माण।	100
7	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	ईवाई 5946	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	इलेक्ट्रानिक काउंटर मेजर (ईसीएम) तथा इलेक्ट्रानिक काउंटर काउंटर मेजर (ईसीसीएम) के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरण सहित इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम का निर्माण।	100
8	मैसर्स रिलायंस लैंड सिस्टम्स लिमिटेड	यूवाई 9986	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	विस्फोटक डिवाइसों जैसे कि बम, सुरंग, राकेट, प्रोपेलैंट / चार्ज सिस्टम, चार्ज के लिए दहनशील केस, बमलेट, माइनलेट, टर्मिनली गाइडेड प्रोजेक्टाइल तथा कार्गो प्रोजेक्टाइल सहित सब म्यूनिशंस का निर्माण।	500
9	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	वाईएम 1722	पीतमपुर एसईजेड, अकोलिया, धाड़, मध्य प्रदेश	रडार के उपकरणों (वेपन लोकेटिंग रडार सहित रडार, जैमर) का निर्माण	100
10	मैसर्स रिलायंस नेवल सिस्टम्स लिमिटेड	वाईओ 0871	मिहान एसईजेड, नागपुर	अंडरवाटर वीपंस की डिजाइन, विकास और निर्माण : • टॉर्पेडो / राकेट / एयूवी • लांचर / ग्राउंड कंट्रोल एवं सपोर्ट उपकरण।	 100 50
11	मैसर्स रिलायंस नेवल सिस्टम्स लिमिटेड	जीई 9890	मिहान एसईजेड, नागपुर	हुल माउंटेड सोनार, टोड एरे सोनार और माइन वारफेयर सिस्टम का निर्माण।	8
12	मैसर्स रिलायंस नेवल सिस्टम्स लिमिटेड	ओआई 4314	मिहान एसईजेड, नागपुर	• इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण। • सी41 सिस्टम की डिजाइन एवं विकास।	616 12
13	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	आईडब्ल्यू 7274	मिहान एसईजेड, नागपुर	रिकार्डर एवं इमेज प्रोसेसिंग, इमेज इंटेंसीफायर, इनफ्रारेड, इमेजिंग रडार सेंसर इक्विपमेंट का निर्माण।	100
14	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	जीजे 0716	मिहान एसईजेड, नागपुर	थल, जल तथा वायु जनित प्लेटफार्म के लिए संचार सिस्टम का निर्माण।	200
15	मैसर्स रिलायंस एसईजेड लिमिटेड	आरएस 1900	मिहान एसईजेड, नागपुर	विमानन, जल एवं थल सिस्टम के लिए सी41 सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण।	4
16	मैसर्स रिलायंस डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	एक्सयू 5697	मिहान एसईजेड, नागपुर	इलेक्ट्रानिक फ्यूज तथा संबद्ध उप प्रणालियों का निर्माण / संयोजन / एकीकरण।	100000

मद संख्या 70.13 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना के निरसन के मामले की जांच की। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम रामदासपुर, कटक, ओडिशा) द्वारा की गई प्रगति संतोषप्रद नहीं है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

मद संख्या 70.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन का निरसन

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना के निरसन के मामले की जांच की। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिला जगतसिंहपुर, ओडिशा) द्वारा की गई प्रगति संतोषप्रद नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को निरस्त करने के प्रस्ताव के विरुद्ध रेजीडेंट आयुक्त, ओडिशा सरकार द्वारा की गई प्रचंड आपत्तियों को भी नोट किया तथा टिप्पणी की कि विकासक अपनी समस्याओं को दूर करने के बाद नए अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

मद संख्या 70.15 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक **18** अगस्त **2015** के विरुद्ध मैसर्स शहतूतवाले इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी तथा नोट किया कि यूनिट की मशीनरी लगभग 25 साल पुरानी है और केवल वुलेन गारमेंट के लिए प्रयुक्त की गई है। यह भी नोट किया गया कि फर्म ने पिछले 5 वर्षों में कोई निर्यात नहीं किया है तथा इससे पहले के 5 वर्षों में भी कोई सारवान निर्यात नहीं किया गया है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एनएसईजेड के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2015, जिसके माध्यम से एलओए को निरस्त किया गया है, की पुष्टि की।

****